UPMP010113152023

Presented on : 18-11-2023
Registered on : 18-11-2023
Decided on : 14-08-2026
Duration : 2 years, 8 months, 26 days

न्यायालय जिला एवम सत्र न्यायाधीश,मैनपुरी
(Presided Over by Rupesh Ranjan)
Sessions Case/2714/2023

सत्र परीक्षण संख्या –784/2023

राज्य ----अभियोजन

बनाम

1–अर्चित यादव पुत्र स्व. राजकुमार

2–रूपानी देवी पत्नी स्व. राजकुमार निवासीगण अण्डनी थाना व तहसील करहल,जिला मैनपुरी।

3–दुर्वेश पुत्र स्व. रामरूप निवासी नगला नवल(भूतन)मौजा धनुआ थाना व तहसील जसवन्तनगर, इटावा।

---- अभियुक्तगण

अपराध संख्या–396/2023
अन्तर्गत धारा–498.ए,304.बी भा.दं.सं.
व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–करहल,जनपद–मैनपुरी

वादी	उत्तर प्रदेश राज्य
प्रतिनिधित्व	श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
अभियुक्तगण	1- अर्चित यादव 2- रूपानी देवी 3- दुर्वेश
प्रतिनिधित्व	श्री अरविन्द कुमार शुक्ला व सर्वेश कुमार शुक्ला ,एडवोकेट
घटना की तिथि	20-07-2023
प्रथम सूचना अंकित किये जाने की तिथि	22-07-2023
आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि	26-08-2023
प्रसंज्ञान लिये लाने की तिथि	11-09-2023
सत्र सुपुर्दगी	03-11-2023
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	05-12-2023
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	15-12-2024

धारा 313 दं०प्र०सं० के बयान की तिथि	31-07-2026
निर्णय की तिथि	14-08-2026

अभियोजन, अभियुक्तगण एवं न्यायालय साक्षियों की सूचीः–

(1) अभियोजन पक्षः–

क्रम संख्या	नाम	साक्ष्य का प्रकार
पी०डब्लू-1	सुल्तान सिंह (वादी मुकदमा)	तथ्य का साक्षी
पी०डब्लू-2	मीना देवी	तथ्य का साक्षी
पी०डब्लू-3	पूजा	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू-4	एच.सी 83 पुष्पेन्द्र सिंह परिहार	औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू-4(ए)	डॉ0 वीरेन्द्र सिंह	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू-5	एडीशनल एस.पी चन्द्रकेश सिंह	औपचारिक साक्षी
पी०डब्लू-6	तारा शुक्ला	औपचारिक साक्षी

अभियोजन, अभियुक्तगण एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्शः–

(1) अभियोजन पक्षः–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	प्रकार
1.	प्रदर्श क-**1**/पी०डब्लू-**1**	टाइप शुदा तहरीर
2.	प्रदर्श क-**2** व **3**/पी०डब्लू-**4**	कम्प्यूटराइज्ड तहरीर व जी.डी
3.	प्रदर्श-क **4** /पी.डब्लू-**4(ए)**	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
4.	प्रदर्श-क **5** व **6** /पी.डब्लू-**5**	नक्शा नजरी,आरोप पत्र
5.	प्रदर्श क-**7**/पी.डब्लू-**6**	पंचायत नामा
6-	प्रदर्श क-**8** लगायत क-**12**/पी.डब्लू-**6**	चिटठी आर.आई,चिटठी सी.एम.ओ,फोटोनाश,चालान नाश एवम वीडियो ग्राफी

निर्णय

1. अभियुक्तगण **अर्चित यादव,रूपानी देवी एवम दुर्वेश** के विरुद्ध थाना करहल जिला मैनपुरी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–396/2023 अन्तर्गत धारा–498.ए,304.बी भा.दं.सं.एवम 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र दिनांकित 26–08–2023 न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए सत्र न्यायालय को दिनांक 03–11–2023 को सुपुर्द किया गया।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि,''प्रार्थी/वादी मुकदमा सुल्तान सिंह पुत्र श्री जाहर सिंह निवासी ग्राम पालीखेडा पोस्ट सहन जिला मैनपुरी ने अपनी पुत्री सपना की शादी दिनांक 10–05–2022 को हिन्दू रीति–रिवाज से अर्चित यादव पुत्र स्व. राजकुमार निवासी ग्राम अण्डनी व तहसील करहल जनपद मैनपुरी के साथ 15,00,000/–रूपए सामान सहित देकर की। शादी के

साथ ही कार व दो लाख रुपये की माँग कर रहे थे तथा ससुरालीजन पुत्री का पति अर्चित यादव,जेठ सतेन्द्र यादव पुत्रगण स्व० राजकुमार व जेठानी शशि पत्नी सतेन्द्र यादव व सास रूपानी देवी पत्नी स्व० राजकुमार निवासीगण अण्डनी थाना व तहसील करहल जिला मैनपुरी व इन लोगो के घर पर स्थायी रूप से रहने वाला इनका रिश्तेदार दुर्वेश पुत्र स्व० रामरूप निवासी नगला नवल (भूतन) मौजा धनुआ थाना व तहसील जसवन्तनगर इटावा व प्रार्थी की पुत्री की ननद नीरज पत्नी वन्टू निवासी ग्राम खुमानपुर थाना अछल्दा जिला औरेया व रेखा पत्नी श्री सचिन निवासी ग्राम खूंटाताल थाना चकरनगर जिला–इटावा जो कि शादी शुदा है आदि लोग दहेज मे उक्त माँग करने लगे तथा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित करने लगे तथा पुत्री सपना को दुर्वेश ने कई बार बुरी नीयत से देखा और गलत शब्दो का प्रयोग किया। ये सब पुत्री सपना ने प्रार्थी के घर पर बताया फिर प्रार्थी ने पुत्री के ससुरालीजन व पुत्री से बातचीत की और उक्त लोगों को समझाया कि इस तरीके की बात ना की जाये, किन्तु दिनांक 20–07–2023 को उक्त दहेज के लोभियों ने प्रार्थी की पुत्री सपना को मारपीट कर गला घोट दिया। प्रार्थी की पुत्री सपना लगभग 04 माह की गर्भवती भी थी। दहेज लोभियो ने उसके बारे मे भी नही सोचा। प्रार्थी को आस–पास के अज्ञात लोगो ने फोन से सूचना दी तो लगभग 11 बजे रात को आये तो पुत्री के ससुरालीजन पुत्री के शव को सैंफई के शवगृह मे छोडकर भाग गये। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।'

3. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर थाना करहल जिला मैनपुरी पर मुकदमा अपराध संख्या–396/2023 अन्तर्गत धारा–498.ए,304.बी भा.दं.सं. एवम 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियुक्तगण अर्चित यादव,रूपानी देवी,दुर्वेश के अतिरिक्त सतेन्द्र यादव, शशि,नीरज व रेखा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया तथा मामले की विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचक द्वारा तमामी विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल,पोस्टमार्टम रिपोर्ट,पंचायत–नामा, सफाई साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अर्चित यादव,रूपानी देवी एवम दुर्वेश के विरूद्ध धारा 498.ए,304.बी भा.दं.सं. एवम 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
4. उक्त आरोप पत्र पर तत्कालीन विद्वान सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 11–09–2023 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित होने पर उन्हें अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी तथा प्रकरण को सत्र परीक्षणीय पाते हुये अभियुक्तगण अर्चित यादव,रूपानी देवी एवम दुर्वेश का विचारण अन्तर्गत धारा 498.ए,304.बी भा.दं.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किए जाने हेतु उक्त प्रकरण को दिनांक 03–11–2023 को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया गया।
5. प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 05–12–2023 को अभियुक्तगण अर्चित यादव,रूपानी देवी एवम दुर्वेश के विरूद्ध धारा–498.ए,304.बी भा.दं.सं. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप विरचित किये गये। उक्त आरोप को अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया तथा न्यायालय से विचारण की माँग की।

6. न्यायालय द्वारा दिनांक 31–07–2026 को अभियुक्तगण अर्चित यादव,रूपानी देवी एवम दुर्वेश के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना को गलत बताया एवम गलत आरोप पत्र प्रेषित किया जाना कहा है। साक्ष्यों द्वारा दिये गये बयान के संबंध में कुछ नही कहना बताया है। विवेचक द्वारा गलत साक्ष्य संकलित करने तथा गलत आरोप पत्र समर्पित करने का कथन किया है। मुकदमा झूठा चलाया जाना और सफाई साक्ष्य नही देनी,का कथन किया गया है। अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष हैं।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में आरोप पत्र कागज संख्या 3–अ/1 लगायत 3–अ/12,प्रथम सूचना रिपोर्ट (कम्प्यूटराइज्ड)कागज संख्या 4–अ/1 लगायत 4–अ/7,मूल तहरीर कागज संख्या 5–अ,नक्शा नजरी कागज संख्या 6–अ,नक्शा नजरी कागज संख्या 6–अ/1,नकल एफ.आई.आर कागज संख्या 7–अ/1 लगायत 7–अ/4,जी.डी कागज संख्या 8–अ/1 लगायत 8–अ/5,शादी कार्ड कागज संख्या 9–अ,पंचायत नामा कागज संख्या 10 अ/1 लगायत 10–अ/3, **चिटठी आर.आई,चिटठी सी.एम.ओ,फोटोनाश,चालान नाश एवम वीडियो ग्राफी कागज संख्या 10–अ/6 लगायत 10–अ/10,पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज संख्या 11–अ/1 लगायत 11–अ/19 प्रस्तुत किए गए हैं।**

8. अभियोजन की तरफ से अपने कथानक को साबित करने के लिये **पी० डब्लू –1 सुल्तानसिंह** (वादी मुकदमा),**पी०डब्लू –2 मीना देवी**, **पी०डब्लू –3** पूजा , **पी०डब्लू –4 एच.सी 83 पुष्पेन्द्र सिंह परिहार,पी.डब्लू–4(ए)डॉ0 वीरेन्द्र सिंह, पी.डब्लू–5 एडीशनल एस.पी चन्द्रकेश सिंह व पी.डब्लू–6 तारा शुक्ला** को मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सफाई साक्ष्य में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

9. मैनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवम मौखिक साक्ष्य का परिशीलन किया।

10. उभय पक्ष को सुनने एवम पत्रावली के अवलोकन के पश्चात इस विचारण में निम्नांकित प्रश्न विचारणीय दृष्टिगत हाते हैं–

    (i)क्या वादी मुकदमा की पुत्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में कारित हुई थी?

    (ii)क्या वादी मुकदमा की पुत्री या उसके मायके पक्ष से अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की गई थी और क्या उक्त अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए मृतका को प्रताड़ित किया गया था?

    (iii)क्या वादी मुकदमा की पुत्री की मृत्यु के ठीक पूर्व अभियुक्तगण द्वारा उसे दहेज की अतिरिक्त मांग के लिए प्रताड़ित किया गया था,जिसके अनुसरण में अंततः वादी मुकदमा की पुत्री की मृत्यु हुई है?

11. प्रत्येक वाद बिन्दु का विचारण क्रमगत रूप से निम्न अनुच्छेदों में किया गया है।

12. **प्रथम विचारणीय प्रश्न इस आशय का है कि,''क्या वादी मुकदमा की पुत्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर सामान्य से इतर परिस्थितियों में हुई थी?**

13. वादी मुकदमा सुल्तान सिंह,जो मृतका का पिता है के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध एक प्राथमिकी दिनांक 22–07–2023 को दर्ज करायी थी,जिसमें उसने अपनी पुत्री का विवाह अभियुक्त अर्चित यादव के साथ दिनांक 10–05–2022 को होने का कथन किया है। उक्त तथ्य की पुष्टि पी.डब्लू–1 द्वारा मुख्य परीक्षा में इस प्रकार की गयी है''दिनांक 10–05–2022 को मैनें बेटी सपना की शादी अर्चित अभियुक्त के साथ की थी।'' पी.डब्लू–2 जो मृतक की मां है,ने भी अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि''मेरी बेटी की शादी दिनांक 10–05–2022 को हुई थी।'' उक्त तथ्य की पुष्टि पी.डब्लू–3 जो मृतका की बहिन है ने भी मुख्य परीक्षा में दिए गए अपने साक्ष्य में इस प्रकार की है''मेरी बहिन सपना मुझसे बड़ी है। उसकी शादी अर्चित यादव के साथ दिनांक 10–05–2022 को हुई थी। मृतका की शादी का कार्ड भी पत्रावली में संलग्न है जिससे उभय पक्ष का विवाह दिनांक 10–05–2022 को होने की पुष्टि होती है।'' उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा की पुत्री का विवाह अभियुक्त अर्चित के साथ दिनांक 10–05–2022 को हुआ था।

14. दर्ज प्राथमिकी में यह कथन किया गया है कि''दिनांक 20–07–2023 को दहेज के लोभियों ने उसकी पुत्री सपना को मार–पीटकर गला घोंट दिया। अपनी मुख्य परीक्षा में पी.डब्लू–1 ने यह कथन किया है कि मेरी पुत्री सपना की मृत्यु दिनांक 20–07–2023 को हुई थी। दिनांक 20–07–2023 को रात्रि के 11 बजे मुझे फोन से सूचना मिली थी कि मेरी बेटी खत्म हो गयी।'' उक्त तथ्य की पुष्टि तथ्य के अन्य साक्षियों द्वारा अपनी साक्ष्य में की गयी है। दिनांक 21–07–2023 को मृतका के शव का पंचायत–नामा किया गया था जिसमें सभी पंचों ने मृतका की मृत्यु फांसी के कारण होने की राय व्यक्त की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वादी मुकदमा की पुत्री की मृत्यु का कारण इस प्रकार अंकित किया गया है कि''**Asphyxia due to hanging**।''गर्दन के चारों ओर लिगेचर मार्क पाया गया है।

15. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि मृतका का विवाह अभियुक्त अर्चित यादव से दिनांक 10–05–2022 को हुआ था,जबकि विवाह के 16 माह के अन्दर दिनांक 20–07–2023 को मृतका की मृत्यु ससुराल में रहते हुए असामान्य परिस्थितियों में घटित हुई थी।

16. **वाद बिन्दु संख्या–2 व 3 का विश्लेषण साक्ष्य एवम सुविधा के दृष्टिगत एक साथ किया जा रहा है,जो निम्नवत है–**

तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा यह कथन किया गया है कि,'' उसने अपनी पुत्री की शादी अर्चित यादव के साथ 15,00,000/–रूपए सामान सहित देकर की थी। शादी के साथ ही कार व 2,00,000/–रूपए की मांग कर रहे थे। पुत्री का पति अर्चित यादव,जेठ सतेन्द्र यादव,जेठानी शशि व सास रूपानी देवी व इन लोगों के घर पर स्थायी रूप से रहने वाला इनका रिश्तेदार दुर्वेश,प्रार्थी की पुत्री की ननद नीरज पत्नी वन्टू व रेखा पत्नी श्री सचिन आदि लोग दहेज में उक्त मांग करने लगे तथा मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। पुत्री सपना को दुर्वेश ने कई बार बुरी नियत से देखा और गलत शब्दों का प्रयोग किया। ये सब पुत्री सपना ने प्रार्थी के घर पर बताया फिर प्रार्थी ने पुत्री के ससुरालीजन व पुत्री से बात चीत की और उक्त लोगों को समझाया कि

इस तरीके की बात न की जाये।'' वादी मुकदमा द्वारा तहरीर में किए गए उपरोक्त कथनों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पुत्री के बताने पर ही उसे दहेज की कथित मांग और प्रताड़ना के बारे में जानकारी मिली। इसका अभिप्राय यह भी हुआ कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा से कथित दहेज की मांग नही की गई थी। हालांकि न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने साक्ष्य में वादी मुकदमा पी.डब्लू–1 ने अभियुक्तगण द्वारा दहेज की कथित मांग और इसके लिए मृतका को दी गयी कथित प्रताड़ना के तथ्य से पूर्णतः इंकार किया है। अपनी मुख्य परीक्षा में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि''मुल्जिमान अर्चित यादव,सतेन्द्र यादव, शशी, रूपानी देवी,दुर्वेश,नीरज व रेखा ने उससे कार व दो लाख रूपए की मांग नहीं की थी। इस सभी लोगों ने मेरी बेटी को मारा पीटा नहीं था। मेरी बेटी सपना गुस्सैल स्वभाव की थी और अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण उसने स्वयं आत्म हत्या कर ली थी। गांव वालों ने एफ.आई.आर लिखायी है। मैनें उसे पढ़ा नही था और न ही मुझे पढ़कर सुनाया गया था। सी.ओ साहब को मैने कोई बयान नही दिया था। अर्चित यादव,सतेन्द्र यादव, शशी, रूपानी देवी, दुर्वेश, नीरज व रेखा ने मेरी बेटी को अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपए व कार की मांग के कारण मार–पीट व उत्पीड़न करके हत्या नही की है। दुर्वेश बुरी नजर रखता था या नही, मैनें कभी नहीं देखा था। सपना ने कभी इस बारे में नहीं बताया था।''अग्रेतर जिरह में इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि''अभियुक्तगण अर्चित यादव,सतेन्द्र यादव,शशि,रूपाणी देवी,नीरज,दुर्वेश व रेखा ने अतिरिक्त दहेज में कार व 2,00,000/–रूपए की मांग कभी नही की थी। शादी हंसी खुशी से सम्पन्न हुई थी। मेरी पुत्री सपना की कभी मार–पीट उत्पीड़न नही किया गया था न उसने कभी हम लोगों को बताया था। मेरी पुत्री सपना गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्सैल स्वभाव के होने की वजह से उसने स्वयं आत्म हत्या की है। उसे उसके ससुरालीजन ने नही मारा है। दुर्वेश के बारे में कभी भी मेरी पुत्री ने कोई शिकायत नही की थी। विवेचक ने मेरा कोई बयान नही लिया था,कैसे लिख लिया मैं उसकी वजह नही बता सकता। प्रार्थना–पत्र गांव वालो ने टाइप कराया था,मेरे केवल हस्ताक्षर करा लिये थे। मुझे पढ़कर नही सुनाया था। मेरी पुत्री सपना की हत्या उसकी ससुराल वालो ने नही की है।

17. पी.डब्लू–1 द्वारा दिए गए बयान के समरूप मृतका की माँ **पी.डब्लू–2 मीना देवी** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मुझसे व मेरी बेटी से शादी के बाद अर्चित यादव,सतेन्द्र यादव, शशि, रूपाणी देवी, दुर्वेश,नीरज,रेखा ने एक कार व दो लाख रूपए की मांग नही की थी। अर्चित शराब पीकर मेरी बेटी की मार–पीट नही करता था। उपरोक्त सातों लोगों ने मेरी बेटी को शादी के बाद गला दबाकर नही मारा था।

18. **पी.डब्लू–3 आरोही उर्फ पूजा** ने भी अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मेरे माता पिता द्वारा दिए गए दान दहेज से मेरी बहिन के ससुराल वाले सन्तुष्ट थे। अतिरिक्त दहेज में चार पहिया संबंधी कार की बात नही बतायी थी,न ही मेरी बहिन के पति अर्चित यादव व उनके मां–बाप परेशान करते थे,न मार–पीट करते थे और न ही अतिरिक्त दहेज मांगते थे। मेरी बहिन ने स्वयं आत्म हत्या की थी।

19. **पी.डब्लू–5 के रूप में विवेचक एडीशनल एस.पी चन्द्रकेश सिंह** को परीक्षित किया गया है, जिन्होनें अपनी जिरह में यह कथन किया है कि''विवेचना के दौरान आरोप पत्र दाखिल करने के पूर्व मैनें अभियुक्त सतेन्द्र यादव,शशि,नीरज तथा रेखा के विरूद्ध मृतका सपना को प्रताड़ित करने के संबंध में कोई साक्ष्य न पाए जाने के कारण उक्त लोगों के विरूद्ध अंतिम आख्या दाखिल की थी। उक्त लोगों की नामजदगी असत्य पायी गयी थी। यह सही है कि दौरान विवेचना मुझे कोई लिखित सबूत अथवा अभिलेखीय साक्ष्य दहेज मांगने के संबंध में नही मिला। दौरान विवेचना डॉ0 वीरेन्द्र सिंह व कुलदीप कुमार ने मुझे यह बताया था कि मृतका के सिर,गर्दन,छाती व पेट में कोई चोट नही थी तथा हाइड बोन भी क्षतिग्रस्त नही हुई थी।''
20. अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के तीन साक्षी प्रस्तुत किए गए हैं और उक्त तीनो ही साक्ष्यिों ने अभियुक्तगण द्वारा मृतका या उनसे अतिरिक्त दहेज की मांग और इसके लिए मृतका को प्रताड़ित किए जाने के तथ्य से इंकार किया है। उक्त आरोपों की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा पुलिस प्रपत्र या चिकित्सकीय प्रपत्र भी दाखिल नही किए गए हैं। दहेज की कथित मांग की जानकारी सामान्यतः मायके पक्ष को अवश्य होती है,क्योंकि दहेज की कथित मांग की पूर्ति की अपेक्षा उन्हीं से की जाती है। मगर तथ्य के ऐसे साक्ष्यिों ने भी अभियोजन कथानक से इंकार करते हुए अभियुक्तगण द्वारा दहेज की कथित मांग और इसके लिए उन लोगों द्वारा मृतका को प्रताड़ित किए जाने के तथ्य से पूर्णतया इंकार किया गया है। स्वयं विवेचक ने भी अपने साक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा दहेज मांगे जाने के संबंध में कोई लिखित या अभिलेखीय साक्ष्य न मिलना कहा है।
21. पंचायतकर्ता/नायब तहसीलदार तारा शुक्ला जो पी.डब्लू–6 के रूप में पत्रावली में उपस्थित आए हैं,ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि''यह कहना सही है कि गले पर केवल नीलगू निशान व खरोंच के निशान के अलावा शरीर पर अन्य कोई चोट नही पायी गयी थी।''
22. पी.डब्लू–4(ए) के रूप में उपस्थित डाक्टर वीरेन्द्र सिंह जिनके द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम किया गया था,ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मृतका की मृत्यु का कारण ''Asphyxia due to hanging'' बताया गया है। मृतका की गर्दन में फांसी के फन्दे के निशान मौजूद थे। गैप मौजूद था। मृतका के गर्दन में फांसी के फन्दे के निशान के अलावा पूरे शरीर पर कोई जाहिरा चोट का निशान मौजूद नही था। मृतका की हार्डबोन इन्टेक्ट थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिए गए लक्षण Hanging के केस में पाए जाते हैं।
23. उपरोक्त सभी साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि मृतका की मृत्यु फांसी लगाए जाने के कारण हुई थी,परन्तु मृतका से अतिरिक्त दहेज की कथित मांग और इसके लिए दी गयी कथित प्रताड़ना की पुष्टि हेतु कोई पुष्ट साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। तथ्य के सभी साक्ष्यिों ने दहेज की कथित मांग और इसके लिए दी गयी प्रताड़ना के तथ्य से इंकार किया है। साथ ही साथ अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित किए जाने के तथ्य से भी इंकार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मृतका की मृत्यु फांसी लगाए जाने के कारण हुई थी,परन्तु इसमें अभियुक्तगण की भूमिका को संदेह से परे साबित करने हेतु कोई साक्ष्य पत्रावली में संलग्न नहीं है।

24. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रस्तुत किये गये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के द्वारा संदेह से परे साबित करने में पूर्णत असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **अर्चित यादव,रूपानी देवी एवम दुर्वेश** अन्तर्गत धारा–498.ए,304.बी भा.दं.सं.एवम 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

1. सत्र परीक्षण संख्या 784/2023 राज्य बनाम अर्चित यादव आदि मुकदमा अपराध संख्या–396/2023 थाना करहल जिला मैनपुरी के मामले में अभियुक्तगण **अर्चित यादव, रूपानी देवी एवम दुर्वेश** को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–498.ए,304.बी भा.दं.सं.एवम 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्तगण **अर्चित यादव,रूपानी देवी एवम दुर्वेश** जमानत पर हैं। अतः उसके बन्धपत्र निरस्त किये जाते है और प्रतिभूगण को उन्मोचित किया जाता है।

3. अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू अन्दर 7 दिवस प्रस्तुत करें।

दिनांक–14–08–2026 **(रूपेश रंजन)**

जिला एवम सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया है।

दिनांक–14–08–2026 **(रूपेश रंजन)**

जिला एवम सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी।

अनिल कुमार अग्रवाल,
पी.ए

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.08.14 17:11:07 +0530